21-1-21	पत्रावली [illegible] नगरपालिका चुनाव में व्यस्तता PO 86 वास्ते आदेश पत्रावली 11-2-2021 को पेश हो।
11-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित दिनांक 6-1-2021 को उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब व सहमति होने वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को वाद-पत्र में वर्णित आराजी का हिस्सा 1/3 का कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तदनुसार आज्ञप्ति डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	[signature]
	[illegible] अधिकारी
	[illegible] (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 58/दावा/19

दायरा दिनाकं 30.08.2019

पीठासीन अधिकारी

श्री प्रमोदकुमार(R.A.S.)

1 सीताराम आयु 50 वर्ष आ0 श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2 पप्पूलाल आयु 35 वर्ष आ0 श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3 धर्मराज आयु 33 वर्ष आ0 श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
4 सन्तरा बाई आयु 70 वर्ष पुत्री श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
5 किशकन्दा बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1 चुन्नीलाल आ0 श्री रूघनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2 लक्ष्मीनारायण आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3 घनश्याम आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4 देवकरण आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
5 रामफूल आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6 गोपाल आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
7 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार सा0 इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टेनेन्सी एक्ट एवं
धारा 136 भू राजस्व अधि0

निर्णय दिनांक 11.02.2021

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नई 458 पुरानी 430 के खसरा सं.1693 रकबा 0.08, खसरा सं. 1694 रकबा 0.08, खसरा सं 1695 रकबा 0.06,खसरा सं 1696 रकबा 0.30,खसरा सं 1699 रकबा 0.22 हैक्टर,खसरा सं 1700 रकबा 0.33,खसरा सं 1701 रकबा 0.10,खसरा सं 1702 रकबा 0.06,खसरा सं 1703 रकवा 0.45,खसरा सं 1704 रकबा 0.09, खसरा सं 1705 रकबा 0.74,खसरा सं 1706 रकबा 0.30, खसरा सं 1707 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा सं 1708 रकबा 0.18 ,खसरा सं 1709 रकबा 0.27, खसरा सं 1710 रकबा 0.20,खसरा सं 1711 रकबा 0.54 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 5.11 हैक्टर वाके ग्राम बाबई पटवार हल्का बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादी कम 1 लगायत 4 के पिता एवं वादिनी क्रम संख्या 5 के पति श्रीकिशना उर्फ श्री किशन आ0 श्री रघुनाथ व प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नी लाल आ0 रघुनाथ व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पिता हरदेव आ0 रघुनाथ की आंवटन शुदा कृषि भूमि एवं कब्जाकाश्त है पक्षकारान के पूर्वज रघुनाथ जी के तीन पुत्र किशना उर्फ श्री किशन एंव चुन्नी लाल तथा हरदेव जी हुए जिसमें से किशना उर्फ श्रीकिशन जी एंव हरदेव जी का स्वर्गवास हो गया है वादीगण किशना उर्फ श्रीकिशन के एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 हरदेव जी के वारिसान है हरदेव जी के वारिसान में हरदेव जी की पत्नी श्रीमती फूमा बाई का स्वर्गवास हो चुका है।

वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि किशना उर्फ श्रीकिशन,चुन्नीलाल एंव हरदेव पिसरान रघुनाथ जी की आंवटन शुदा कृषि भूमि है जोकि तीनो को पृथक–पृथक आंवटित हुई थी परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमियों का एक खाता कायम करते समय राजस्व रिकार्ड में हरदेव,चुन्नीलाल पिसरान किशना दर्ज कर दिया गया जबकि किशना सहखातेदार हरदेव एंव चुन्नीलाल का सगा भाई था ना कि पिता बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा तीनो के नाम के साथ पिता के स्थान पर रघुनाथ जी का नाम दर्ज नही करके हरदेव व चुन्नीलाल के पिता के स्थान पर सगे भाई सहखातेदार किशना का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि किशना का नाम पृथक से स्वतंत्र सहखातेदार के रूप में दर्ज किया जाना था एवं हरदेव,चुन्नीलाल व किशना के पिता के स्थान पर रघुनाथ जी का नाम दर्ज होना था। उपरोक्त गलत इन्द्राज से वादीगण को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उक्त गलत इन्द्राज से वादीगण के अधिकार प्रभावित होते है वादीगण अपने मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के संव्यवहार नही कर पा रहे है। वाद वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादीगण का 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा निहित है एंव मौके पर भी सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड में हरदेव व चुन्नीलाल के पिता के स्थान पर किशना जी का नाम दर्ज होने एवं किशना जी का नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज न होने के कारण राजस्व रिकार्ड में भूमि 1/2– 1/2 हरदेव व चुन्नी लाल के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकार प्रभावित होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है उपरोक्त कृषि भूमि गेर खातेदारी में दर्ज है एवं खातेदारी करवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर वादीगण को इस तथ्य का ज्ञान हुआ।

वादीगण वाद वर्णित कृषि [illegible] स्वामी है वादीगण को अधिकार प्राप्त कि वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व [illegible] में स्वय को किशना उर्फ श्रीकिशन के वारिसान के रूप में 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवाये एवं राजस्व रिकार्ड में चुन्नीलाल आत्म किशना के स्थान पर चुन्नी लाल आ0 रघुनाथ दर्ज करवाये। एवं किशना जी के वारिस के रूप में स्वंय वादीगण का नाम दर्ज करवाये। जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा इस बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत एंव पटवारी हल्का से भी इस बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई परन्तु तहसीलदार इन्द्रगढ़ इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय में वाद दायर करने को कहा गया इसलिए वादीगण को वाद पेश किया है और अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण को किशना उर्फ श्रीकिशन के रूप में 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चुन्नीलाल आ0 किशना के स्थान पर चुन्नीलाल आ0 रघुनाथ दर्ज किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 बाद तामील सम्मन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उभय पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा वाद विषयक आराजी बाबत् दिनांक 06.01.2021 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया और साथ में ही प्रतिवादीगण की और से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो बाद जॉच शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि वाद विषयक कृषि भूमि किशना उर्फ श्रीकिशन,चुन्नीलाल,एवं हरदेव पिसरान रघुनाथ की आंवटन सुधा भूमि है जो पृथक–पृथक आंवटन हुई थी परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्पूर्ण भूमि का एक खाता कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में हरदेव,चुन्नीलाल पिसरान श्रीकिशन दर्ज कर दिया गया जो गलत है। किशना उर्फ श्रीकिशन,चुन्नी लाल व हरदेव का सगा भाई है जिनके पिता का नाम रघुनाथ है और अन्त मे प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दावा वादीगण डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया खसरा न. 449/704 रकबा 11 बीघा 13 बीस्वा भूमि दिनांक 30.05.1976 को वादीगण के पूर्वज किशना उर्फ किशन लाल आत्मज रघुनाथ के नाम आंवटन किया जाना पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज से जाहिर होता है। मौका पर्चा ग्राम बाबई जो दिनांक 10.07.2019 पटवारी हल्का बाबई द्वारा तैयार की गई थी इसके अनुसार भी तीनो भाइयों का बराबर –बराबर कब्जा होना बताया गया है। श्रीकिशन के सगे भाई प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नी लाल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पेश कर कथन किया गया कि मेरे पिता का नाम रघुनाथ है। और श्रीकिशन मेंरा सगा भाई है वादीगण द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों में भी वादीगण के पिता का नाम श्रीकिशन इन्द्राज किया गया है। जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि वादीगण श्रीकिशन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल ने भी अपने इकबालिया जवाब में उसके पिता का नाम रघुनाथ एवं श्रीकिशन उसका भाई होना स्वीकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलतीवश चुन्नीलाल व हरदेव के पिता का नाम श्रीकिशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जो अवैधानिक होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को किशना उर्फ श्रीकिशन के वारिसान के रूप में वाद विषयक आराजी खाता संख्या नई 291 पुरानी 426 के खसरा सं.1693 रकबा 0.08, खसरा सं. 1694 रकबा 0.08, खसरा सं 1695 रकबा 0.06,खसरा सं 1696 रकबा 0.30,खसरा सं 1699 रकबा 0.22 हैक्टर,खसरा सं 1700 रकबा 0.33,खसरा सं 1701 रकबा 0.10,खसरा सं 1702 रकबा 0.06,खसरा सं 1703 रकबा 0.45,खसरा सं 1704 रकबा 0.09, खसरा सं 1705 रकबा 0.74,खसरा सं 1706 रकबा 0.30, खसरा सं 1707 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा सं 1708 रकबा 0.18 ,खसरा सं 1709 रकबा 0.27, खसरा सं 1710 रकबा 0.20,खसरा सं 1711 रकबा 0.54 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 5.11 हैक्टर वाके ग्राम बाबई पटवार हल्का बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुन्नी लाल आत्मज किशना के स्थान पर चुन्नीलाल आत्मज रघुनाथ दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................... मुकाम........................लाखेरी..............................
व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)...
1.सीताराम आ0 श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा वगैरह निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी राज0

(वादीगण)

बनाम..1.चुन्नीलाल आ0 श्री रघुनाथ जाति बैरवा वगैरह निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत..88,89, आर0 टी0 एक्ट व 136 एल आर एक्ट.

मुकदमा नम्बर....................................58/दावा/2019...............................सन..
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..............................हमरे...व हाजिरी श्री धीरज कुमार जैन एडवोकेट...........मिनजानिब मुद्दई रूबरू........श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट............................ ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को किशना उर्फ श्रीकिशन के वारिसान के रूप में वाद विषयक आराजी खाता संख्या नई 458 पुरानी 430 के खसरा सं.1693 रकबा 0.08, खसरा सं. 1694 रकबा 0.08, खसरा सं 1695 रकबा 0.06,खसरा सं 1696 रकबा 0.30,खसरा सं 1699 रकबा 0.22 हैक्टर,खसरा सं 1700 रकबा 0.33,खसरा सं 1701 रकबा 0.10,खसरा सं 1702 रकबा 0.06,खसरा सं 1703 रकबा 0.45,खसरा सं 1704 रकबा 0.09, खसरा सं 1705 रकबा 0.74,खसरा सं 1706 रकबा 0.30, खसरा सं 1707 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा सं 1708 रकबा 0.18 ,खसरा सं 1709 रकबा 0.27, खसरा सं 1710 रकबा 0.20,खसरा सं 1711 रकबा 0.54 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 5.11 हैक्टर वाके ग्राम बाबई पटवार हल्का बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुन्नी लाल आत्मज किशना के स्थान पर चुन्नीलाल आत्मज रघुनाथ दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाता है। ....
निज..मुबलिग..बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......11........माह.. ..02... सन... 2021.......................को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प [illegible]		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प [illegible]		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहान		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:52 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

2 पप्पूलाल आयु 35 वर्ष आ0 श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

3 धर्मराज आयु 33 वर्ष आ0 श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

4 सन्तरा बाई आयु 70 वर्ष पुत्री श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

5 किशकन्दा बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री किशना उर्फ श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

—वादीगण

2 लक्ष्मीनारायण आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3 घनश्याम आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

4 देवकरण आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

5 रामफूल आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

6 गोपाल आ0 श्री हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम आजाद नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

7 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार सा0 इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner